

Papers laid on the table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 ? श्री जुएल ओराम जी

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 382A/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for the year 2024-2025.
- (2) A copy of Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 383/18/24]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 182 of the Electricity Act, 2003 read with Section 2(64) of the said Act:-
 - (i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) (6th Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. JERC:-01/2009 in Gazette of India dated 03rd January, 2024.
 - (ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable Energy) (Fifth Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC- 14/2010 in Gazette of India dated 06th June, 2024.
 - (iii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024 published in Notification No.19/ 20/2015-JERC/1680 in Gazette of India dated 12th June, 2024.

- (iv) The Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh (Micro-Grid Renewable Energy Generation and Supply) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2024/01 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (v) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Green Energy Open Access) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/ Reg/ 2024/02 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (vi) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Grant of Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission & Distribution and related matters) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/ Reg/2024/04 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (vii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Smart Grid) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2024/07 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (viii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Deviation Settlement Mechanism and other Related Matters) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2024/08 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (ix) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Terms and Conditions for Tariff Determination for grid-interactive Renewable Energy Sources) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC- JKL/ Reg/ 2024/09 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (x) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Transmission Performance Standards Regulations, 2023 published in Notification No. JERC- JKL/Reg/ 2023/17 in Gazette of India dated 11th December, 2023.
- (xi) The ?Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Demand Side Management) Regulations, 2023? published in Notification No. JERC-JKL/ Reg/2025/16 in Gazette of India dated 11th December, 2023.
- (xii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Renewable Purchase Obligations & its Compliance) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC- JKL/Reg/2024/05 in Gazette of India dated 28th February, 2024.

- (xiii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC- JKL/Reg/ 2024/03 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (xiv) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Licensee's Power to Recover Expenditure incurred in providing supply and other miscellaneous charges) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2024/06 in Gazette of India dated 28th February, 2024.
- (xv) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (State Grid Code) Regulations, 2023 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2023/19 in Gazette of India dated 12th December, 2023.
- (xvi) The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Distribution Code) Regulations, 2023 published in Notification No. JERC-JKL/Reg/2023/19 in Gazette of India dated 29th November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 384/18/24]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-
- (i) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024 published in Notification No. L-1/268/ 2022/CERC in Gazette of India dated 1st July, 2024.
- (ii) Notification No. L-1/261/2021/CERC published in Gazette of India dated 1st July, 2024 notifying that the Second Amendment Regulations shall come into force with effect from 15.07.2024.
- (iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024 published in Notification No. RA-14026(11)/1/2023-CERC in Gazette of India dated 16th July, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 385/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I beg to lay on the

Table:-

- (1) A copy of Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.

- (2) A copy of Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2024-2025.
- (3) A copy of the Petroleum (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.154(E) in Gazette of India dated 4th March,2024 under Sub Section (4) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 386/18/24]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-
- (i) The Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and DistributionRegulation) Amendment Order, 2024 published in Notification No. G.S.R. 176(E) in Gazette of India dated 12th March, 2024.
- (ii) The Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal Practices) Amendment Order, 2024 published in Notification No. G.S.R. 208(E) in Gazette of India dated 15thMarch, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 387/18/24]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टण्टा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 388/18/24]

- (4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.2491(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू?कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा सड़क संगठन को सौंपने के बारे में है।
- (दो) का.आ.2492(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू?कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को जम्मू?कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार को सौंपने के बारे में है।
- (तीन) का.आ.2493(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के का.आ.4783(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चार) का.आ.2494(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 के का.आ.3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का.आ.2495(अ) जो दिनांक 28 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.5107(अ) को निरस्त किया गया है।
- (छह) का.आ.2683(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।
- (सात) का.आ.2788(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।
- (आठ) का.आ.2789(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।
- (5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (एक) और (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 389/18/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, श्री रवनीत सिंह जी की ओर से, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 390/18/24]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेट्रो रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.1778(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2065(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ.2220(अ) जो दिनांक 8 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 और 19 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3703(अ) और का.आ.2819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 391/18/24]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण विनियम, 2023 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विनिर्दिष्ट बांध की जांच, उपकरण, भूकंपीय डाटा, जोखिम आकलन और मूल्यांकन विनियम, 2024 जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विनिर्दिष्ट बांध-निगरानी, निरीक्षण और जल-मौसमविज्ञानीय स्टेशन विनियम, 2024 जो दिनांक 28 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) बांध निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय विनियम, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 392/18/24]

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 393/18/24]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 394/18/24]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 19/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31 जुलाई, 2024, जिसका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को रु. 7000/एमटी से कम करके रु. 4600/एमटी करने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 395/18/24]

- (2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 41/2024-सीमा-शुल्क, हो 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय संबंधित आयातक से विनिर्दिष्ट वचनपत्र के अध्यक्षीन, प्रयोगशाला में उपयोग के लिए अथवा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए एचएस 9802 00 00 के अंतर्गत आने वाले प्रयोगशाला रसायनों (किसी भी एल्कोहोलिक स्ट्रेंथ के अनडीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल को छोड़कर) पर 1 अगस्त, 2024 से लागू बीसीडी दर को 150%से कम करके 10% करने के लिए 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क का संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 396/18/24]

12.06 hrs